न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ, नालन्दा ।

नियमित जमानत आवेदन संख्या 190/2026

श्रीकांत उर्फ डब्लू बनाम बिहार सरकार

परिवाद पत्र सं0 251सी/2013

अंतर्गत धारा 376, 420 भा0 द0 वि0 ।

06.03.2026

दिनांक 24.01.2026 से कारावासित अभियुक्त **श्रीकांत उर्फ डब्लू** की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता मो0 अदनान असलम तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री अनुज कुमार का तर्कपूर्ण बहस सुना ।

प्रस्तुत मामला परिवाद पत्र पर आधारित है, जिसमें परिवादिनी का कथन है कि श्रीकान्त उर्फ डबलू उसके गांव का ही निवासी है । दिनांक 19.06.2011 को वह अकेले गांव के बाहर शौच करके वापस लौट रही थी तो अभियुक्त ने पीछे से पकड़ लिया, कमर से पिस्तौल निकाल कर सटा दिया और गोद में उठाकर टयूबेल के केबीन में ले गया और छत पर ले जा कर मुंह में कपड़ा ठूस कर उसके साथ बलात्कार किया । उसके बाद बाहर से ताला बंद कर भाग गया । अभियुक्त ने गांव के ही अनिल प्रसाद को सूचना दिया तो उसने परिवादिनी के माता–पिता को सूचना दिये । केबिन का ताला खोला गया तो परिवारिदनी काफी रोने चिल्लाने लगी और घटना की सारे बातें अपने माता–पिता व ग्रामीण को बताई । 09 दिन बाद श्रीकान्त उर्फ डबलु पिस्तौल के बल पर पुनः उसके साथ छेड़खानी करने लगा । तब दिनांक 28.06.2011 को लिखित थाना में सूचना दिये । उसके बाद दिनांक 29.06.2011 को ग्रामीणों के समक्ष उसकी शादी करा दिया गया और अभियुक्त के माता–पिता ने बोला कि कोर्ट में बयान दे देना कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है । अभियुक्त ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया और उसके बाद उसे घर से निकाल दिया ।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक की ओर से पूर्व में अग्रिम जमानत आवेदन सं0 534/2014 दाखिल किया गया था, जिसे माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नालन्दा द्वारा अस्वीकृत किया गया है । उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल जमानत आवेदन को कि0 मिस0 नं0 25256/2014 के माध्यम से अस्वीकृत किया गया है । उनका यह भी कथन है कि न्यायालय में परिवादिनी के द्वारा बयान दिया गया है कि मैं अपनी मर्जी से दिनांक 29.06.2011 को श्रीकांत से शादी किया । दोनों के माता–पिता ने शादी करवाये हैं । शादी के बाद श्रीकांत से शारीरिक संबंध बना है और दोनों पति–पत्नी की तरह रह रहे हैं । आवेदक के विरूद्ध लगाए गए उक्त धाराओं का अभियोग बनता प्रतीत नहीं होता है । शादी के बाद परिवादिनी ने संपत्ति बंटवारा हेतु दबाव डालने लगी उसके बाद तो अभियुक्त ने बंटवारा सूट नं0 73/2012 दाखिल किया है । परिवादिनीके द्वारा पूर्व में दर्ज प्राथमिकी रहुई थाना कांड सं0 153/2011 दर्ज कराया गया था, जिसमें अनुसंधानोपरांत अनुसंधानकर्ता द्वारा साक्ष्य के अभाव में अंतिम प्रपत्र समर्पित

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ, नालन्दा ।

नियमित जमानत आवेदन संख्या 190/2026

श्रीकांत उर्फ डब्लू बनाम बिहार सरकार

परिवाद पत्र सं0 251सी/2013

अंतर्गत धारा 376, 420 भा0 द0 वि0 ।

लगातार

06.03.2026

किया गया है । परिवादिनी ने दबाव में आकर संपत्ति के लालच में यह परिवाद पत्र दायर किया है । पूर्व में दर्ज कराये गए वाद में में परिवादिनी ने द0 प्र0 सं0 की धारा 164 के बयान में पति–पत्नी का संबंध होना बताई है । आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है । वह दिनांक 24.01.2026 से न्यायिक हिरासत में है । अतः इन्हें जमानत का लाभ प्रदान किया जाय ।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक/अभियुक्त के जमानत आवेदन का विरोध करते हैं ।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अभिलेख तथा निम्न न्यायालय अभिलेख का अवलोकन किया और पाया कि परिवादिनी द्वारा आवेदक के विरूद्ध उक्त घटना को लेकर पूर्व में रहुई थाना कांड सं0 153/2011 दर्ज कराया गया था, जिसमें उक्त घटना में उभय पक्षों के बीच संधि हो गया है तथा अनुसंधानकर्ता द्वारा उक्त वाद में साक्ष्य के अभाव में अंतिम प्रपत्र समर्पित किया गया है। सूचिका के द्वारा विरोध–पत्र के आधार पर यह वाद शुरू हुआ है। जिसे देखने से यह विदित होता है कि आवेदिका के स्वंय के बयान में ही विरोधाभाष है। प्रथम दृष्ट्या आवेदक के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई विशिष्ट आरोप बनता प्रतीत नहीं होता है । आवेदक दिनांक 24.01.2026 (करीब डेढ़ माह) से न्यायिक अभिरक्षा में है।

अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों तथा विशेष रूप से आवेदक के कारावधि को ध्यान में रखते हुए आवेदक को 10,000/– रु0 के जमानत तथा समान राशि के समतुल्य दो प्रतिभूओं वाले बंधपत्र दाखिल करने पर संबंधित विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर आवेदक को जमानत का लाभ इस शर्त पर प्रदान किया जाता है कि **आवेदक विचारण में पूर्ण सहयोग करेगे तथा प्रत्येक तिथि को न्यायालय में उपस्थित रहेगे।**

(लेखापित एवं संशोधित)

(संजीव कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सह विशेष–न्यायाधीश
नालन्दा, बिहारशरीफ।